कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम) मध्य प्रदेश
ऑडिट भवन, झाँसी रोड, ग्वालियर – 474002

135

सं./प्रशासन/हिंदी कक्ष/त्रै. बैठक/कार्यवृत्त/2023-24/एस.टी.आर.- 307 दिनांक: 02.08.2023

विषयः- राजभाषा कार्यान्वयन समिति की अप्रैल से जून, 2023 की त्रैमासिक बैठक का कार्यवृत्त ।

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम) मध्य प्रदेश, ग्वालियर की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की अप्रैल से जून, 2023 की अवधि की त्रैमासिक बैठक दिनांक 27.07.2023 को सायं 03.30 बजे आरंभ हुई । इस बैठक की अध्यक्षता श्री डी. साहू, प्रधान महालेखाकार महोदय ने की तथा बैठक की कार्यवाही का संचालन श्रीमती रश्मि मिश्रा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, हिन्दी कक्ष/फास ने किया ।

इस अवसर पर संलग्न परिशिष्ट में दर्शाये गये समूह अधिकारी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी एवं सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी उपस्थित हुये । बैठक का कार्यवृत्त निम्नानुसार प्रस्तुत है:-

1. पिछली तिमाही जनवरी से मार्च, 2023 की बैठक के कार्यवृत्त का वाचन, उसकी पुष्टि तथा अनुवर्ती कार्यवाही की समीक्षा ।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारंभ करते हुये श्रीमती रश्मि मिश्रा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, हिन्दी कक्ष/फास ने सर्वप्रथम पिछली तिमाही जनवरी से मार्च, 2023 की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की त्रैमासिक बैठक के कार्यवृत्त का वाचन किया जिसकी सर्व सम्मति से पुष्टि की गई । उसके बाद कार्यालय के विभिन्न अनुभागों द्वारा कार्यवृत्त पर की गई अनुवर्ती कार्यवाही की समीक्षा की गई।

2. वर्तमान तिमाही अप्रैल से जून, 2023 के लिये अनुभागों से प्राप्त प्रगति प्रतिवेदनों की समीक्षा ।

अप्रैल से जून, 2023 की तिमाही के दौरान कार्यालय के नियंत्रक-अनुभागों एवं प्रशासन समूह के समस्त अनुभागों से प्राप्त हिन्दी - पत्राचार के प्रतिशत एवं राजभाषा कार्यान्वयन के अन्य बिन्दुओं के संबंध में अनुभाग संगत समीक्षा की गई, जिसका विवरण निम्नानुसार है-

3. भेजे गए पत्रों की स्थिति हिंदी में किया गया पत्राचार का प्रतिशत-

क्र.	नियंत्रक अनुभाग का नाम	पूर्व तिमाही का प्रतिशत	वर्तमान तिमाही का प्रतिशत
1	प्रशासन -11	98.52	99.13
2	प्रशासन -12	95.40	96.92
3	पी.डी.वी.पी.	90.94	99.38
4	प्रशासन – 13	100	100
5	प्रशासन – 14	100	100
6	सामान्य अनुभाग	100	100
7	कार्यपालन शाखा	100	100
8	आई.एस. विंग	97.14	100
9	गोपनीय कक्ष	100	100
10	आंतरिक लेखापरीक्षा	100	100
11	हिन्दी का.कक्ष	100	100
12	फास (विविध)	100	100
13	कल्याण शाखा	100	100
14	रिपोर्ट – 1	89.78	91.95
15	रिपोर्ट – 2	80	92.86
16	रिपोर्ट (पी.ए.सी.)	92.86	100
17	विधि कक्ष	97.73	100
18	अनुदान लेखापरीक्षा	100	100
19	केद्रीय समन्वयन कक्ष	100	100
20	ए.एम.जी- 1 (मुख्यालय)	100	100
21	ए.एम.जी- 2 (मुख्यालय)	100	100
22	ए.एम.जी- 3 (मुख्यालय)	100	100
23	ए.एम.जी- 4 (मुख्यालय)	92.59	97.10
24	ए.एम.जी- 5 (मुख्यालय)	100	100
25	वाणिज्य समन्वयन कक्ष	88.20	93.58

नोटः- प्रशासन-11, 12, पी.डी.वी.पी., रिपोर्ट-1, रिपोर्ट-2, ए.एम.जी 4 (मु.) तथा वाणिज्य समन्वयन कक्ष अधिकाधिक कार्य हिंदी में कर रहे हैं परन्तु निर्धारित लक्ष्य 100 प्रतिशत से कम पर कार्य कर रहे हैं ।

पिछली तिमाही की तुलना में वृद्धि का विवरण-

अनुभाग	पूर्व तिमाही का प्रतिशत	वर्तमान तिमाही का प्रतिशत	प्रतिशत वृद्धि
प्रशासन-11	98.52	99.13	0.61
प्रशासन.12	95.40	96.92	01.52
पी.डी.वी.पी.	90.94	99.38	8.44
आई एस विंग	97.14	100	2.86
रिपोर्ट-1	89.78	91.95	2.17
रिपोर्ट-2	80	92.86	12.86
रिपोर्ट (पी.ए.सी.)	92.86	100	7.14
विधि कक्ष	97.73	100	2.27
ए.एम.जी.-4 (मु.)	92.59	97.10	4.51
वाणिज्य समन्वयन कक्ष	88.20	93.58	5.38

पिछली तिमाही की तुलना में कमी का विवरण-

अनुभाग	पूर्व तिमाही का प्रतिशत	वर्तमान तिमाही का प्रतिशत	प्रतिशत कमी
		निरंक	

कार्यालय से भेजे गए कुल पत्रों का प्रतिशत-

हिंदी	अंग्रेजी	कुल	प्रतिशत
4927	36	4963	99.27

पूर्व तिमाही का प्रतिशत : 97.93

वर्तमान तिमाही का प्रतिशत : 99.27

इस तिमाही में वृद्धि का प्रतिशत : 1.34

4. राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) का अनुपालन -

इस तिमाही में धारा 3(3) के अंतर्गत निम्न लिखित अनुभागों से कुल 264 कागजात जारी किए गए जो सामान्य अनुदेश प्रकृति के थे । इनमें से कोई भी कागजात केवल अंग्रेजी में जारी नहीं किया गया । अतः कार्यालय द्वारा धारा 3(3) का पूर्णतः पालन किया गया ।

5. हिंदी में प्राप्त पत्रों की स्थिति (नियम 5 का अनुपालन) -

इस तिमाही में कुल 5123 पत्र हिंदी में प्राप्त हुए । इनमें से कुल 2307 पत्रों के उत्तर हिंदी में एवं 169 पत्र निराकरण के लिए शेष थे । बाकी बचे पत्र नस्ती किए गए । इस तरह नियम 5 का पूर्णतः पालन किया गया ।

6. फाइलों पर हिंदी में कार्य-

(क) तिमाही के दौरान लिखी गई कुल टिप्पणियों की संख्या – 4462
(ख) हिंदी में लिखी गई टिप्पणियों की संख्या - 4416
(ग) अंग्रेजी में लिखी गई टिप्पणियों की संख्या - 46

अध्यक्ष महोदय का उद्बोधनः- अध्यक्ष महोदय ने निम्नलिखित निर्देश दिये ।

1. जिन अनुभागों द्वारा हिंदी में निर्धारित लक्ष्य 100% प्राप्त नहीं किया है वे निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करें ।
2. समूह अधिकारीगण, शाखा अधिकारीगण एवं संबंधित अधिकारी व्यक्तिगत रूचि लेकर निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु सार्थक प्रयास करें तथा अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों को भी लक्ष्य प्राप्ति हेतु निर्देशित करें ।
3. जिन अनुभागों ने हिन्दी में शत प्रतिशत कार्य किया है, वे बधाई के पात्र हैं ।

बैठक के अन्त में श्रीमती रश्मि मिश्रा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, हिन्दी कक्ष/फास ने सभी उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रति आभार प्रकट किया । अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही सम्पन्न घोषित की गई ।

Rashmi
28/7/23

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
हिन्दी कक्ष